प्रेषक,

डा0अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

एन0आर0आई0 अनुभाग लखनऊ दिनांक: 15 जनवरी, 2019

विषय: प्रवासी भारतीयों की समस्याओं के निस्तारण हेतु त्वरित कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि आधुनिक भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों का सराहनीय योगदान है। इनका वैश्विक स्तर पर भारत के सांस्कृतिक एवं आर्थिक राजदूत की भूमिका का निर्वहन स्वागत योग्य है। इन प्रवासी भारतीयों में उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, जिनमे से अकुशल एवं अर्द्धकुशल श्रम बल की बहुतायत है।

2- इन प्रवासी भारतीयों की विभिन्न समस्याएं जैसे-उनके पैतृक निवास स्थान पर रह रहे माता-पिता एवं अन्य संबंधियो के साथ दुर्व्यवहार, पैतृक सम्पति पर अनधिकृत कब्जे, अवैध उत्प्रवासन एवं पैसा जमा कर फ्लैट पर कब्जा न दिये जाना आदि प्रकरण जनपद में विभिन्न स्तरों पर लम्बित है। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-201/93-17-17(NRI-MEETING)/2017, दिनांक 12 जनवरी, 2018 द्वारा अप्रवासी भारतीयों की शिकायत के ऑनलाइन निवारण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर एक समिति गठित की गयी है। इस हेतु एन0आर0आई0 विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल- **http://www.upnrigrs.in** का संचालन किया जा रहा है, जिसकी यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड आपको पूर्व में प्रेषित किये जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त राजदूतावासों एवं कौन्सुलावासों के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपको संदर्भित की जाती हैं।

3- स्मरणीय है कि प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों को सराहने एवं उस पर विमर्श हेतु **"प्रवासी भारतीय दिवस"** का आयोजन नियमित रूप से भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है। उ0प्र0 में प्रथम बार **"प्रवासी भारतीय दिवस"** का आयोजन दिनांक 21-23 जनवरी, 2019 को वाराणसी में किया जा रहा है, जिसका उदघाटन मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा एवं समापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जायेगा।

4- अत: "प्रवासी भारतीय दिवस" के आयोजन के पूर्व अपने स्तर से व्यक्तिगत रूचि लेकर नोडल अधिकारी नामित करते हुए जनपद स्तर पर लम्बित अप्रवासी भारतीयों के समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त आयोजन के दौरान किसी भी असहज स्थिति से बचा जा सके।

वेब पोर्टल के संचालन से संबंधित किसी समस्या के निवारण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

1. श्री अजेय नाथ पाण्डेय, निदेशक, डाटा प्लानिंग, उद्योग बन्धु, लखनऊ मो0 न0 9839226033
2. मो0 वली अब्बास, निदेशक, आई0टी0, उद्योग बन्धु, लखनऊ मो0 न0 9415157990

संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय,

(डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 5/25/93-19-17 NRI(MEETING)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव, गृह विभाग उ0प्र0 शासन।

4- **पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वह एन.आर.आई. की समस्याओं के निवारणार्थ एक वेब पोर्टल विकसित करा कर उसे एन.आर.आई. विभाग के वेब पोर्टल- http://www.upnrigrs.in से लिंक देकर शिकायतों के निवारण हेतु नियमित समीक्षा कराना सुनिश्चित करें।**

5- डॉ.डी.एम.मुलय सचिव(CPV&OIA), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110021।

6- श्री मनोज कुमार मोहपात्रा, संयुक्त सचिव (OIA-II) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110021।

7- श्री विनोद के. जेकब, संयुक्त सचिव(आर्थिक राजनय एवं राज्य), विदेश मंत्रालय, जवाहर लाल नेहरू भवन, नई दिल्ली।

8- श्री सुशील सिंघल, संयुक्त सचिव (कांफ्रेंस) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

9- निदेशक, (एम.एम) पी.एम.ओ. ऑफिस नई दिल्ली।

10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

11- निजी सचिव, मा0राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), एन0आर0आई0 विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

12- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

13- अधिशासी निदेशक/संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ-208001।

14- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, एन0आर0आई0 सेल, 14/88, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001।

15- निजी सचिव, प्रमुखसचिव/विशेष सचिव, एन0आर0आई0 विभाग, उ0प्र0 शासन।

16- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in